

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:-07.05.2024

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ विभाग के लिए आयोग द्वारा आयोजित हॉस्पिटल केयर टेकर (Hospital Care Taker) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच हेतु दिनांक 11.10.2023 को विचारित सूची जारी की गई थी।

उक्त विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों के अधिक संख्या में अपात्र पाये जाने के कारण निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया जाता है-

रोल नम्बर (टी.एस.पी. क्षेत्र)

3500310 3500385 3501591 3502040 3502851
TOTAL CANDIDATES:- 05

रोल नम्बर (नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र)

3500016 3500033 3500045 3500079 3500174 3500202
3500212 3500233 3500290 3500347 3500396 3500405
3500517 3500535 3500541 3500556 3500563 3500678
3500690 3500691 3500703 3500750 3500754 3500800
3500866 3500925 3500958 3500972 3501004 3501073
3501076 3501077 3501099 3501120 3501145 3501154
3501211 3501241 3501311 3501314 3501319 3501330
3501398 3501439 3501464 3501583 3501592 3501611
3501648 3501780 3501793 3501912 3501934 3501964
3502019 3502042 3502085 3502125 3502191 3502199
3502247 3502266 3502295 3502302 3502333 3502462
3502486 3502507 3502586 3502600 3502616 3502695
3502754 3502772 3502799 3502812 3502844
TOTAL CANDIDATES:- 77

यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किये जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची/वरीयता सूची नहीं है, अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जायेगी।

दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउन्सलिंग के माध्यम से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउन्सलिंग के समय उपस्थित होंगे।

काउन्सलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के सम्बन्ध में आयोग की वेबसाईट एवं अन्य माध्यम से यथासमय पृथक से सूचित कर दिया जायेगा।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जायेगी तथा पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चयन सूची एवं आरक्षित सूची जारी की जायेगी।

(रामनिवास मेहता)
सचिव